



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आश्विन 1940 (श0)  
(सं0 पटना 906) पटना, शुक्रवार, 5 अक्टूबर 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

5 अक्टूबर 2018

एस० ओ० 259, दिनांक 5 अक्टूबर 2018—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (समय समय पर यथा संशोधित), की धारा-14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल वाणिज्य कर विभाग के अधिसूचना संख्या एस०ओ० 147, दिनांक 7 सितम्बर, 2017 (इस अधिसूचना में "उक्त अधिसूचना" के रूप में निर्दिष्ट) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

- 1 उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रम संख्या 1 के स्तम्भ (3) में अंक "26.00" को अंक "22.20" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- 2 उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रम संख्या 2 के स्तम्भ (3) में अंक "19.00" को अंक "15.00" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- 2 यह अधिसूचना इसके निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/संशोधन-05/2018-2978)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

5 अक्टूबर 2018

एस०ओ० 259 दिनांक 5 अक्टूबर 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/संशोधन-05/2018-2978)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

---

*The 5<sup>th</sup> October 2018*

---

S.O. 259, Date 5<sup>th</sup> October, 2018— In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (as amended from time to time), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments to Commercial Taxes Department Notification Number S.O. 147, Dated 7<sup>th</sup> September, 2017 (referred to as the “said notification” in this notification) :-

**Amendments**

1. The figure “22.20” shall be substituted for the figure “26.00” in column (2) of Sl. No. 1 of the Table appended to the said notification.
2. The figure “15.00” shall be substituted for the figure “19.00” in column (2) of Sl. No. 2 of the Table appended to the said notification.
2. This notification shall come into force with effect from the date of its issue.

[(File No. Bikri-kar/Sansodhan-05/2018-2978)]

By order of the Governor of Bihar,

DR. PRATIMA,

*Commissioner State Tax-cum-Secretary,*

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 906-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>